भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 855

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग का पैठण-पंढरपुर खंड

855. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि महाराष्ट्र के बीड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-752ई/561ए के पैठण-पंढरपुर खंड के बोधेगांव-डिघोल सड़क पर मूल जमीन संबंधी और कंक्रीट का कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मानकों के विपरीत किए गए हैं जो खतरनाक दरारों, बार-बार दुर्घटना और अनेक लोगों की मृत्यु का कारण बनी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संबंधित निर्माण कार्यों में "परिसीमा में परिवर्तन," "अतिरिक्त सामाग्री," "डिसकोप," और "समय की अधिकता" जैसे प्रावधानों के दुरुपयोग से ठेकेदारों को अवैध लाभ मिला है और कार्यकारी अधिकारियों की मिलीभगत से जन धन का दुरुपयोग किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस संबंध में एक स्वतंत्र उच्च-स्तरीय जांच समिति गठित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या सरकार का इस सड़क पर हुई दुर्घटनाओं से पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के लिए कोई ठोस नीति तैयार करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-752ई/561ए के पैठन-पंढरपुर खंड का निर्माण विशेष रूप से बोधेगांव से दिघोल (बीड जिला, महाराष्ट्र) तक दो पैकेजों, पैठन से शिरूर जिसकी लंबाई 55.94 किमी है और शिरूर से खारदा की लंबाई 54.11 किमी है, में किया गया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का निर्माण कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों और डिजाइन के अनुसार किया गया है। तथापि, 48,908 कंक्रीट पैनलों में से लगभग 540 कंक्रीट पैनलों में दरारें देखी गई हैं और ठेकेदार को इन टूटे हुए पैनलों को बदलने/मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है। इनमें से 376 पैनलों को पहले ही बदल दिया गया है/मरम्मत कर दी गई है, और शेष 164 पैनलों पर सुधार कार्य वर्तमान में चल रहा है। हालांकि, उपरोक्त पैनलों में दरारों के कारण कोई भी मौत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) पैठण से शिरुर खंड में 242.82 करोड़ रुपये की कुल सिविल लागत के मुकाबले 11.36 करोड़ रुपये की राशि के लिए 'दायरे में परिवर्तन' और 'अतिरिक्त मदों' को क्रियान्वित किया गया है और शिरुर से खारदा में 245.12 करोड़ रुपये की कुल सिविल लागत के मुकाबले 4.56 करोड़ रुपये की

राशि को शामिल किया गया है, जिसमें अतिरिक्त पुलिया, हयूम पाइप पुलिया से कंक्रीट बॉक्स पुलिया में पुलिया के प्रकार में परिवर्तन, पाटोदा निर्मित खंड में चार लेन का निर्माण और जंगल के इलाकों में कंक्रीट फुटपाथ की जगह बिटुमिनस फुटपाथ का निर्माण संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार साइट की स्थितियों के अनुसार किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएच-548डी के पहले से स्वीकृत चुम्बली से मंजरसुन्भा खंड के साथ ओवरलैपिंग शिरुर से खारदा खंड की 4.44 किलोमीटर लंबाई को इस परियोजना में 'डी-स्कोप' किया गया है।

इसके अलावा, मौजूदा एनएच राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पर विवादों, अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण में देरी और कोविड-19 महामारी के कारण 31.03.2022 तक 'समय विस्तार' दिया गया है और इसके बाद की अवधि के लिए वृद्धि रोक दी गई है। संविदा करार के प्रावधानों के खिलाफ संविदाकारों को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया है। अब तक 55.94 किलोमीटर लम्बाई के पैठन से शिरूर खंड में से 48.61 किलोमीटर और शिरूर से खारदा खंड में 54.11 किलोमीटर लम्बाई में से 48 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। दोनों खंडों की शेष लंबाई में, मौजूदा एनएच आरओडब्ल्यू पर विवादों के कारण कार्य रुका हुआ है। शेष कार्य, जहाँ तक संभव हो, 15.02.2026 तक पूरा होना संभावित है।

(ग) परियोजना की गुणवत्ता लेखा परीक्षा आईआईटी बॉम्बे को सौंपी गई है। आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(घ) सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवज़े के मामले में, सरकार ने 25 फरवरी, 2022 को एक अधिसूचना जारी किया है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) और उसकी रिपोर्टिंग के साथ-साथ अलग-अलग हितधारकों के लिए समय-सीमा और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के तेज़ी से निपटारे के लिए प्रक्रिया को ज़रूरी बनाया गया है।

*****